

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 08/2017 - सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च, 2017

सा.का.नि. (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की प्रत्येक अधिसूचनाओं में एतद्वारा, संशोधन करती है जिसे उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तरीके से और आगे भी संशोधित किया जाएगा, यथा :-

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना सं. एवं तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	91/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009, सा.कानि. सं. 657 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009	उक्त अधिसूचना में, शर्त (iv) में, "हल्दिया (हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स कोलकाता पत्तन)" शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर, "हल्दिया (हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स कोलकाता पत्तन), हजीरा (सूरत)," शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
2.	92/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009, सा.कानि. सं. 658 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009	उक्त अधिसूचना में, शर्त (iv) में, "हल्दिया (हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स कोलकाता पत्तन)" शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर, "हल्दिया (हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स कोलकाता पत्तन), हजीरा (सूरत)," शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
3.	93/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009, सा.कानि. सं. 659 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009	उक्त अधिसूचना में, शर्त (iv) में, "हल्दिया (हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स कोलकाता पत्तन)" शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर, "हल्दिया (हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स कोलकाता पत्तन), हजीरा (सूरत)," शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
4.	94/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009, सा.कानि. सं. 660 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009	उक्त अधिसूचना में, शर्त (iv) में, "हल्दिया (हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स कोलकाता पत्तन)" शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर, "हल्दिया (हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स कोलकाता पत्तन), हजीरा (सूरत)," शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
5.	95/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009, सा.कानि. सं. 661 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009	उक्त अधिसूचना में, शर्त (iv) में, "हल्दिया (हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स कोलकाता पत्तन)" शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर, "हल्दिया (हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स कोलकाता पत्तन), हजीरा (सूरत)," शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
6.	96/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009, सा.कानि. सं. 662 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009	उक्त अधिसूचना में, शर्त (vii) में, "हल्दिया (हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स कोलकाता पत्तन)" शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर, "हल्दिया (हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स कोलकाता पत्तन), हजीरा (सूरत)," शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
7.	97/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009, सा.कानि. सं. 663 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009	उक्त अधिसूचना में, शर्त (iv) में, "हल्दिया (हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स कोलकाता पत्तन)" शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर, "हल्दिया (हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स कोलकाता पत्तन), हजीरा (सूरत)," शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
8.	98/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009, सा.कानि. सं. 664 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009	उक्त अधिसूचना में, शर्त (vi) में, "हल्दिया (हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स कोलकाता पत्तन)" शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर, "हल्दिया (हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स कोलकाता पत्तन), हजीरा (सूरत)," शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
9.	99/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009, सा.कानि. सं. 665	उक्त अधिसूचना में, शर्त (vii) में, "हल्दिया (हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स कोलकाता पत्तन)" शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर, "हल्दिया (हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स

20	16/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015, सा.का.नि. सं. 252 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015	उक्त अधिसूचना में, सारणी 2 में, क्रम सं. 1 के समक्ष,- “हल्दिया (हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स कोलकाता पत्तन)” शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर, “हल्दिया (हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स कोलकाता पत्तन), हजीरा (सूरत),” शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
----	---	---

(फा.सं. 609/119/2013-डीबीके)

(धर्मवीर शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट :

- (1) मूल अधिसूचना सं. 91/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 को सा.का.नि. संख्या 657 (अ) दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 54/2016-सीमा शुल्क, दिनांक 3 अक्टूबर, 2016 जिसे सा.का.नि. संख्या 937 (अ), दिनांक 3 अक्टूबर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
- (2) मूल अधिसूचना सं. 92/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 को सा.का.नि. संख्या 658 (अ) दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 54/2016-सीमा शुल्क, दिनांक 3 अक्टूबर, 2016 जिसे सा.का.नि. संख्या 937 (अ), दिनांक 3 अक्टूबर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
- (3) मूल अधिसूचना सं. 93/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 को सा.का.नि. संख्या 659 (अ) दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 54/2016-सीमा शुल्क, दिनांक 3 अक्टूबर, 2016 जिसे सा.का.नि. संख्या 937 (अ), दिनांक 3 अक्टूबर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
- (4) मूल अधिसूचना सं. 94/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 को सा.का.नि. संख्या 660 (अ) दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 5/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 20 फरवरी, 2015 जिसे सा.का.नि. संख्या 116 (अ), दिनांक 20 फरवरी, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
- (5) मूल अधिसूचना सं. 95/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 को सा.का.नि. संख्या 661 (अ) दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 54/2016-सीमा शुल्क, दिनांक 3 अक्टूबर, 2016 जिसे सा.का.नि. संख्या 937 (अ), दिनांक 3 अक्टूबर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
- (6) मूल अधिसूचना सं. 96/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 को सा.का.नि. संख्या 662 (अ) दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 54/2016-सीमा शुल्क, दिनांक 3 अक्टूबर, 2016 जिसे सा.का.नि. संख्या 937 (अ), दिनांक 3 अक्टूबर, 2016

